



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 421 राँची, सोमवार, 16 ज्येष्ठ, 1938 (श०)  
6 जून, 2016 (ई०)

---

विधि (विधान) विभाग

-----  
अधिसूचना

6 जून, 2016

संख्या-एल०जी०-47/2015-111/लेज० झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 01 जून, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

**झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2016**

(झारखंड अधिनियम संख्या-18, 2016)

झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित 14 नवम्बर 2000 तक) की धारा-6 का संशोधन: -

(i) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-6 की उप धारा-(1) का खंड-(ग) विलोपित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-6 की उप धारा-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।

"(2) यदि कोई व्यक्ति समाहर्ता द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो वह उस कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी, अथवा ₹0 25,000/- (पच्चीस हजार) तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।"

3. **व्यावृत्ति :-** झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित 14 नवम्बर 2000 तक) की धारा-6(1) (ग) के विलोपित होते हुए भी, धारा-6(1) (ग) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों उस दिन उक्त प्रावधान प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**दिनेश कुमार सिंह,**

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,  
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

## अधिसूचना

6 जून, 2016

**संख्या-एल0 जी0-47/2015-112/लेज0** झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 जून, 2016 को अनुमत **झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2016** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

### **The Jharkhand Public Land Encroachment (Amendment) Act, 2016** **(Jharkhand Act-18,2016)**

**AN ACT To amend the Jharkhand Public Land Encroachment Act, 1956 (As amended till 14<sup>th</sup> November, 2000)**

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the sixty-seventh year of the Republic of India as the following:-

1. **Short Title, Extent and Commencement.** —

(1) This Act may be called The Jharkhand Public Land Encroachment (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment in Section-6 of the Jharkhand Public Land Encroachment Act, 1956.—**

(i) Clause (C) of Sub-Section-(1) of Section-6 of the said Act, 1956 shall be deleted.

(ii) Sub-section (2) of Section-6 of The said Act, 1956 shall be substituted by the following:-

"(2) If any person does not comply with the orders passed by the Collector under this section, he shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to one year or with fine up to Rs. 25,000/-(twenty five thousand) or with both."

3. **Savings** .—Notwithstanding the deletion of Section-6(l) (c) of the Jharkhand Public Land Encroachment Act, 1956 (Jharkhand Act XV, 1956) anything done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the Section-6(l) (c) shall be deemed to have been done or taken in exercise of powers conferred by or under this Act, as if the said provisions were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

-----